The House reassembled after lunch at two of the clock.

2 P. M.

I. THE BIHAR BUDGET, 1968-69—*contd.*

II. THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1968—*contd.*

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

वित्तमंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : उपसभापति जी, कल और आज मैंने बड़ गौर से माननीय सदस्यों द्वारा बिहार बजट पर दिए गए भाषण सुने। मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जहां एक तरफ सरकार की आलोचना की है, वहां कई उपयोगी सुझाव भी दिए हैं। आम तौर पर माननीय सदस्यों ने बहुत सी ऐसी स्थानीय समस्याओं को उठाया है जिनके बारे में सरकार बराबर जागरूक है और जो भी सम्भव कानूनी कार्यवाही हो सकती है किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बात से अवगत हूं कि आज दुर्भाग्य से बिहार राज्य के अन्दर राष्ट्रपति का शासन है, इसलिए बहुत सारे काम जोकि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को करने चाहिए, वह शायद नहीं हो पाते होंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद और चाहे राष्ट्रपति शासन के पहले जो भी सरकार थी उस समय में—किस पार्टी की थी उसमें मैं जाना नहीं चाहता—बिहार राज्य ने बराबर तरक्की की है।

माननीया, आमतौर पर वक्ताओं ने योजना कार्यों तथा विकास कार्यों की धीमी गति, खेती की तरक्की और उसके लिए बिजली की व्यवस्था तथा बिहार राज्य में आने वाली लगातार बाढ़ और अकाल सहायता आदि का जिक्र किया है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्र द्वारा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात है और इस बात की चर्चा की है कि जितनी सहायता केन्द्र को करनी चाहिए थी बिहार राज्य की उतनी शायद हमने नहीं की। इसके साथ ही साथ कुछ माननीय विरोधी दलों के सदस्यों ने भूमि-कर की समाप्ति, कर्मचारियों का भत्ता और शिक्षा आदि के बारे में चर्चा की है। माननीया, मैं सब बातों को एक-एक करके आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा।

माननीया, जहां तक योजना कार्यों का सम्बन्ध है, अगर पिछले 20 साल के आंकड़े उठा कर देखें और अभी राष्ट्रपति शासन के समय जो कुछ किया गया है उसको देखें तो इससे अन्दाजा लगता है कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, वहां की विभिन्न समस्याओं और वहां की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए बिहार ने काफी तरक्की की है। मैं पिछले दिनों की याद माननीय सदस्यों को बाद में दिलाऊंगा लेकिन इस साल के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1967–68 में जहां केन्द्रीय सहायता 51 करोड़ 50 लाख की दी गई थी, वहां हमने इस बात को देखते हुए कि अब राष्ट्रपति का शासन है, केन्द्रीय सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिये 1968–69 में 53 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता वहां पर दी है। इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार बराबर बिहार राज्य की समस्याओं के बारे में जागरूक है और इस बात का प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हो सके बिहार का विकास हो। अगर कोई काम रह गए हैं तो उनको पूरा किया जाना चाहिए। मैं केवल इस बात को कहना नहीं चाहता कि हमने इस साल में—चूंकि केन्द्र की अब जिम्मेदारी है—बिहार सरकार के साथ अच्छा सलूक किया है। मैं इस बात को छोड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि माननीय सदस्यों ने केवल राष्ट्रपति शासन के पहले के एक या दो साल की चर्चा नहीं की, माननीय सदस्यों ने पिछले जमाने का जिक्र किया, और कहा है कि 20 साल से कांग्रेस का शासन था और इस 20 साल के शासन में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

खेती का सवाल हो या उसके लिए बिजली और पानी जुटाने का सवाल, चाहे छोटे छोटे उद्योग-धन्धे जुटाने का सवाल हो, हमने इस बात की बराबर कोशिश की है कि जितनी जल्दी सम्भव हो सके बिहार राज्य की तरक्की होनी चाहिए।

योजना कार्यों का जहां तक सम्बन्ध है, पहली पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार की कुल योजना 102 करोड़ रुपए की थी, उसमें 55 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने सहायता के रूप में उनको दिया था। दूसरी योजना लगभग 177 करोड़ रुपये की थी, उसमें 84 करोड़ रुपया हमने केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिहार के कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी तीसरी योजना 319 करोड़ रुपए की बनाई थी। माननीय विरोधी दलों के सदस्य चाहें तो नोट कर लें 319 करोड़ रुपये में 213 करोड़ रुपए की सहायता केन्द्र की तरफ से दी गई थी। आम तौर पर इस बात की चर्चा की जाती है, शायद अब योजनाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन विकास का काम बराबर तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि पहली योजना और तीसरी योजना का अनुपात देखें तो पहली योजना का अनुपात 53 प्रतिशत था तो आज तीसरी पंचवर्षीय योजना का अनुपात हो गया 67–68 प्रतिशत। जैसा मैंने निवेदन किया, हमने केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद विकास का काम छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है। हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद से जिस तरह से बढ़े हैं उसको देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तक बिहार में कुल रुपया योजना के तहत खर्च हुआ है 223 करोड़ और उसमें से हमने 165 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया था। इसके माने यह हैं कि 70 प्रतिशत से ज्यादा रुपया बिहार राज्य की योजनाओं में हमने केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया है माननीया, मैं इन सब बातों को आपके सामने विस्तार से लाऊंगा तो काफी समय लग जाने वाला है। डिपुटी चीफ व्हिप याद दिला रहे हैं कि समय की कमी है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि योजना बनाते समय इसका ख्याल रखना होगा कि बिहार राज्य की बढ़ती हुई आबादी है, बिहार एक पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे और माने में न हो लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि वहां कई तरह से विकास के काम करने हैं। योजना कमीशन ने और जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है उसने फार्मूला तय किया था, उस फार्मूले के निश्चय के अनुसार 70 प्रतिशत आबादी के हिसाब से मिलेगा। निश्चित रूप से जितना बिहार को पहले मिलता था उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो मैंने निवेदन किया कि बिहार के प्रति उपेक्षा की नीति केन्द्रीय सरकार की नहीं रही है, हम बराबर इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि बिहार भी देश के अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़े बल्कि हमारी कोशिश यह रही है कि उनसे भी आगे बिहार राज्य को बढ़ना चाहिए।

खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में चर्चा की गई कि खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में जितना विकास कार्य होना चाहिए बिहार में उतना काम नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि बिहार के लोग जितनी ज्यादा कोशिश करते उतनी खेती की तरक्की ज्यादा हो जाती। इस बात का दोष केन्द्र को तो नहीं दिया जा सकता है लेकिन यह कहना कि सरकार ने कोई कोशिश की या नहीं की, इस बात की आलोचना हम यहां पर करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जो आंकड़े हमारे सामने हैं यह हमारे आंकड़े, कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाये गये आंकड़े हैं। वह न कांग्रेस की सरकार के, न विरोधी दल की सरकार के आंकड़े हैं। वह आंकड़े हमारे सामने आए हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनसे सिद्ध होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से कृषि

संबंधी योजनाओं में जिनमें सिंचाई और बिजली दोनों शामिल हैं, हमने 36,82.1 लाख रुपया खर्च किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 87,04.80 लाख रु० खर्च किया, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने यह रकम बढ़ाई और यह रकम बढ़ाकर 184,81.62 लाख हमने की। इस तरह से आप देखें की खेती के लिए जिसमें बिजली और सिंचाई के काम भी शामिल हैं, हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल केन्द्र सरकार बल्कि जो वहां की राज्य की सरकार थी, किसी पार्टी की सरकार थी, वह माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, उसने बराबर कोशिश की है कि खेती की तरक्की की जानी चाहिये। अब फिर याद दिलाना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र करते हुए हम उन बातों को छोड़ देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल समाप्त हो जाता है, उसके बाद शायद विकास का काम नहीं हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल के बाद भी खेतीबाड़ी के कार्य में 1966–69 में लगभग 15,540 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। तो यह सब बात इस बात का अंदाजा देती है कि हमने निश्चित रूप से तरक्की की है खेती के संबंध में। जितना हमने भूतकाल में किया है भविष्य में उससे भी ज्यादा करना है इसलिए जो हमने योजनाएं बनाई हैं निश्चित रूप से वह ऐसी योजनाएं हैं जो हमें आगे ले जाने वाली हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : क्या पंचवर्षीय योजना में जो खर्चा हुआ है उसका मूल्यांकन भी कराया है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उसका मूल्यांकन बराबर किया जाता है। गणना के आधार पर पता चलता है कि जितना विकास कार्य हुआ है वह कोई कम गति के साथ नहीं हुआ है। उस गति को आप देखें कि कितना विकास कार्य हुआ है। उसके साथ साथ जो गहन समस्याएं थीं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारा का सारा दोष सरकार पर नहीं जा सकता। जो सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं उनको भी और माननीय सदस्यों को भी उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिये।

मैं एक दो मिनट में बिजली और सिंचाई के आंकड़े देता हूं। आप देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां 1294.3 लाख रु० हमने खर्च किये थे सिंचाई के लिए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2698.53 लाख रु० हमने खर्च किय और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 6672.58 लाख रु० हमने सिंचाई में खर्च किये। इसके अलावा बिजली में जो खर्च हुआ है उसको आप देखें तो मालूम होगा कि कितनी द्रुतगति से हम आगे बढ़ते जाते हैं। बिजली का काम भी बिहार के अंदर बिजली की तरह बढ़ा है। पहले प्लान में जहां 946.2 लाख खर्च किये थे तो दूसरे प्लान में 3113.93 लाख खर्च किये और तीसरी प्लान में 7984.89 लाख खर्च किये, बल्कि मैं उसको 8000 लाख भी कह सकता हूं लगभग इतने रुपये खर्च किये। लेकिन इसके बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल के बाद 1966–69 में 5,309 लाख रु० बिजली के कार्यों के लिये खर्च किय जायेंगे। चाहे उसका मूल्यांकन कराये या न कराये लेकिन जो कुछ खर्चा होता है, मैं समझता हूं उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मैं इनकार नहीं करता कि विकास का कार्य . . .

(Interruptions.)

मैं बोलूं तो आप बोलने दें। माननीया, इसके बाद माननीय सदस्यों ने इस बात का बहुत जोर से जिक्र किया है कि जब वहां पर संविद की सरकार बनी थी उस समय भूमि-कर या लैन्ड रेवन्यू वहां से समाप्त कर दिया गया था। मैं इस संबंध में निवदन कर देना चाहता हूं कि यह बात बहुत सही है कि आज बिहार में राष्ट्रपति का शासन है और इस बार केन्द्रीय सरकार इस बात को बहुत जल्दी करना चाहती है कि जितनी जल्दी सम्भव हो सके बिहार के अंदर चुनाव होने चाहिय,

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

वहां पर जनता की सरकार बने, जनता की चुनी हुई सरकार बने, और जैसा चाहे इस बारे में फैसला करे; और भूमि-कर को रखना चाहे तो रखे हटाना चाहे तो हटाए। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं भूमि-कर बिहार की सरकार ने कभी समाप्त नहीं किया था... (*Interruptions.*) माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुन लें। मैं कहता हूं कि जब वहां पर संविद की सरकार थी तो उन्होंने इस बात का फैसला जरूर लिया था कि वहां पर भूमि-कर को समाप्त किया जाना चाहिये और जहां तक हमको जानकारी है, जो कि सही जानकारी है, संविद की सरकार ने विधान सभा के अंतिम दिन, विधान सभा में इस तरह का विधेयक जरूर प्रस्तुत किया गया था कि जिसकी तहत वह सारे भूमि-कर को समाप्त नहीं करना चाहते थे, केवल उस भूमि-कर को जो अलाभकारी जीव मानी जाती है उस पर भूमि-कर समाप्त करना चाहते थे। (*Interruptions.*) माननीय सदस्य अगर तसल्ली से सुनें तो पूरी बात समझ में आ जायेगी। मैं निवेदन कर रहा था कि विधान सभा में वहां की सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें इस बात का मशविरा था कि अलाभकारी जोतों में भूमि-कर समाप्त कर देना चाहिये। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं माननीया, कि अलाभकारी जोतों पर भूमि-कर समाप्त करने के लिये उस समय की संविद सरकार ने एक मसविदा पेश किया था लेकिन उस मसविदे पर विधान सभा के अंदर काफी बहस हुई और न वहां की सरकार ने कोई फैसला किया। वहां की सरकार ने जो केवल इन्सट्रक्शन दिये वह यह दिये कि सन् 1967–68 के अंदर इस तरह का भूमि-कर नहीं उघाया जाना चाहिये। माननीया, मैं इस विश्लेषण में नहीं जाना चाहता कि वह उघाया जाना चाहिये या नहीं उघाया जाना चाहिये। मैं उसका इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीया, आपको मालूम होगा कि जिस समय संविद की सरकार गई और वहां शोषित दल की सरकार आई, शोषित दल की सरकार ने सोचा कि अगर यह भूमि-कर हटा लिया जाता है तो बिहार की सरकार जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसको बहुत ही विषम स्थिति से गुजरना पड़ेगा, उसको लगभग 9 करोड़ रु० का घाटा उठाना पड़ेगा। उस समय की शोषित दल की सरकार ने सोचा कि बिहार राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जिससे कि वह 9 करोड़ रुपये का घाटा उठा सके। शोषित दल की सरकार ने, जो संविद की सरकार ने, विधेयक प्रस्तुत किया था उस पर फैसला करने की बजाय उसको उलट कर दिया और जैसे पहले भूमि-कर लिया जाता था उसी तरह से लेना शुरू कर दिया। तो यह कहना संविद की सरकार ने समाप्त कर दिया था, मैं समझता हूं मेरी इस बात से उसकी सफायी हो जाती है।

इसके बाद मैं आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां पर जो बहस हुई उसमें तो कोई हिस्सा किसी ने लिया नहीं। विधान-सभा के अंदर कभी इस संबंध में बहस नहीं हुई, लेकिन उस समय के जो मुख्य मंत्री थे श्री मंडल उन्होंने जो दलीलें दीं उस विधेयक के बारे में यह थीं कि यह कोई पापुलर डिमान्ड नहीं है, जनता की कोई इस तरह की मांग नहीं है कि भूमि-कर को समाप्त किया जाना चाहिये। और दूसरा तर्क उन्होंने यह दिया, चूंकि यह भूमिकर बहुत पुराने जमाने में लगा था उस समय खेती की और दूसरे वस्तुओं की कीमतें बहुत कम थीं, तो उसके मुकाबले में आज जो भूमिकर लेते हैं वह पुराने जमाने के भूमिकर को अगर हम आज के रेट्स लें तो बहुत ज्यादा होगा। इसलिये उन्होंने फैसला किया कि भूमि-कर को नहीं हटाएंगे, लेकिन उसमें बढ़ोतरी भी नहीं करेंगे। तीसरी बात यह कही थी कि यह सारे के सारे टैक्स हम हटा देंगे तो जो विकास का काम हम करना चाहते हैं, एक तरफ बिजली की मांग करते हैं, सिचाई की मांग करते हैं, और यह भी मांग करते हैं कि देहात के अंदर स्कूल और अस्पताल हों, तो इन सब बातों के लिये अगर सरकार

टैक्स नहीं लेगी, यदि हम सारे टैक्सेज को समाप्त कर देंगें तो विकास के सारे के सारे काम कहाँ से होंगे। इसलिये उस समय की सरकार ने जो फैसला किया था वह फैसला केवल कांग्रेस सरकार काम में नहीं लाई, उसके बाद दूसरी जो संविद की सरकार आई उसने भी शोषित दल के फैसले को नहीं माना। उसके बाद भूमि-कर को हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया। इसलिये यह कहना कि भूमि-कर क्यों नहीं हटाया गया, तो उसके लिये मैंने निवेदन किया, थोड़े दिनों बाद राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो जायेगा, आम चुनाव होगा, जनता की सरकार आएगी, विधान सभा बनेगी, पापुलर सरकार बनेगी उस समय जैसा वह सरकार फैसला करे हमको वह कबूल होगा। इस संबंध में कोई ऐतराज की बात नहीं।

तीसरी बात जो कि माननीय सदस्यों ने बहुत जोर से कही वह है केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ते के संबंध में। मुझे ताज्जुब होता है माननीया, कि यह माननीय सदन एक वरिष्ठ सदन माना जाता है और यहां के वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं। मैं तो निचले सदन से आता हूं हालांकि मुझे भी इस सम्मानित सदन का सदस्य रहने का मौका मिल चुका है। लेकिन सदन के वरिष्ठ सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि मेहर-बानी करके मेरे जैसे सदस्य के सामने वरिष्ठता का परिचय देना चाहिये। मुझे खुशी है कि वरिष्ठ लोगों से मुझे जैसे छोटे लोगों को सीखने का मौका मिलता है। लेकिन जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि सारा का सारा मसला आज का नहीं। माननीया, यह तो संविद की सरकार के जमाने से बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों का जो आंदोलन है वह चला है और उस समय की सरकार ने, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, उस समय कोई महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन यह कहना कि उनकी सभी मांग पूरी कर दी गईं माननीया, यह बिल्कुल गलत है। यह सारे का सारा आंदोलन जो चल रहा है . . . (*Interruptions.*) . . . यह संविद सरकार के समय से चल रहा था, संविद की सरकार के बाद वहां शोषित दल . . .

श्री रेवती कांत सिंह (बिहार) : बहुत गलत-बयानी हो रही है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उसके बाद भी दूसरी संविद सरकार आई, उसने भी इस बात पर विचार किया और उन्होंने यह तर्क दिया, दोनों संविद की सरकारों ने और बीच में शोषित दल की सरकार ने—मानता हूं उनको हमारा समर्थन था—कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जितना महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है तो हम को खुशी होगी। केन्द्र को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर बिहार के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता दिया जाता है तो इससे बिहार सरकार को करीब 10.5 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। अगर बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता देना चाहती है तो वह दे सकती है। एक तरफ तो राज्य में इस तरह की आर्थिक विषमता है और दूसरी तरफ माननीय सदस्यों का यह कहना कि राज्य में जनता से टैक्स नहीं उघाया जाना चाहिये, यह बात कहां तक उचित है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता दिया जाये और राज्य सरकार को ज्यादा धन दिये जाने की जो मांग की जा रही है वह कैसे उचित कही जा सकती है। इन तीनों बातो में किस तरह से समानता हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे वरिष्ठ सदस्य है और उन्हें इसी तरह से बात सोचनी और कहनी चाहिये। लेकिन मैं फिर यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को उनके साथ पूरी हमदर्दी है और उनकी तकलीफों के बारे में जानकारी है। जहां तक मैं जानता

[श्री जगन्नाथ पहाडिया]

हूं कि इस संबंध में निश्चित रूप से विचार होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि आज देश के अन्दर महंगाई है और उससे राज्य तथा केन्द्रीय कर्मचारी दोनों ही प्रभावित हैं। हम इस बात से कभी इनकार नहीं करते है। मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी कहा था कि यह राज्य सरकार का विषय है और अगर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर देना चाहती है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं होगा। अगर बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है और वह अपने कर्मचारियों को भत्ता देना चाहती है तो हमें खुशी होगी। अगर वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से भी ज्यादा भत्ता देना चाहती हैं तब भी हमें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे भत्ते के संबंध में इतना ही निवेदन करना है।

इसके बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों ने कर्मचारियों के विरूद्ध विक्टिमाइजेशन करने की बात कही थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शोषित दल ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया था। जब दूसरी संविद सरकार आई तब भी उसने कोई फैसला नहीं किया। लेकिन बिहार के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार से सलाह मशविरा करके इस चीज का फैसला किया है। जिन कर्मचारियों को विक्टिमाइजशन किया गया है उनको कंडोन कर दिया गया है और जिन दिनों वे गैर हाजिर रहे उस दिनों को लीव मान लिया गया है। हम को उन लोगों के साथ हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता है उसी तरह से उनके साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने उनके साथ जो हमदर्दी दिखलाई है वह केवल दिखलावे के लिए ही है और इस तरह से आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। मैंने इस संबंध में जो कुछ कहा है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा।

इसके बाद मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां पर बिहार में साक्षरता के संबंध में बात कही गई है। श्री रेड्डी साहब ने यह कहा कि बिहार राज्य, देश का वह राज्य है जहां सब से कम साक्षरता है और जहां पर इललिट्रेसी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, जब मैं केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों से मुकाबला करता हूं तो यह पाता हूं कि सारे देश में जो साक्षरता है वह औसतन करीब 24 या 25 प्रतिशत है, बिहार राज्य साक्षरता में पीछे है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1951 में बिहार में साक्षरता का जो औसत था वह 12 प्रतिशत था और आज बिहार में साक्षरता का औसत करीब 20 प्रतिशत हो गया है। ये आंकड़े पिछले कुछ सालों के हैं और मैं समझता हूं कि दो तीन साल के अन्दर वह और भी आगे बढ़ गये होंगे। इस तरह से यह कहना कि वहां पर साक्षरता नहीं बढ़ी है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह तर्क सामने क्यों नहीं रखा जाता है कि वहां पिछले कुछ सालों में जो साक्षरता थी उसके मुकाबले में आज बहुत ज्यादा हो गई है।

एक बात मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर शिक्षकों के साथ बहुत से माननीय सदस्यों ने हमदर्दी दिखलाई है। इसके संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइमरी टीचर्स है बिहार में वे जिला बोर्ड के अन्दर आते हैं और राज्य सरकार उसमें कुछ हिस्सेदार होती है। लेकिन जब तक जिला बोर्डों से राज्य सरकार को उनके लिए सहायता नहीं मिलेगी तब तक राज्य सरकार कहां से उन्हें तनख्वाह देगी। मेरे सामने जो तथ्य हैं उनसे पता चलता है कि आधे से अधिक जिले ऐसे हैं जहां के प्राइमरी टीचर्स को जुलाई मास का वेतन दिया जा चुका है। अगस्त मास अभी समाप्त नहीं हुआ है और जुलाई महीने के वेतन आधे से अधिक जिलों के टीचर्स को मिल चुका

है। फिर यह कहना कि कई महीनों से वहां के टीचरों को वेतन नहीं मिला है, सही बात नहीं है। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता हूं।

इसके बाद हमारे माननीय सदस्य श्री मित्रा जी और श्री लोकनाथ मिश्र जी ने इस बात का जिक्र किया था कि राजा रामगढ़ के ऊपर कई केस चल रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्री पद से लाभ उठाया है और राज्य सरकार से कुछ माइनिंग पर लाभ उठाया है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का ताल्लुक है उसका इस बारे में कोई संबंध नहीं क्योंकि यह राज्य का विषय है। लेकिन जो जानकारी हमें राज्य सरकार से आई है उससे पता चलता है कि उस समय की बिहार सरकार ने राजा रामगढ़ को इस तरह का कोई फायदा नहीं दिया। कुछ समझौते जरूर हुए हैं और उनके बारे में कई मुकदमें कलकत्ता के हाइकोर्ट, पटना के हाइकोर्ट और स्थानीय अदालतों में चल रहे हैं। चूंकि यह मामला सबज्यूडिस है, इसलिए मैं इसके संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है उनको इस तरह का कोई लाभ संविद सरकार ने नहीं दिया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मिश्रा जी यह क्यों भूल जाते हैं कि वे भी उस सरकार में हिस्सेदार थे। अगर उन्हें किसी तरह का लाभ पहुंचा भी है तो उनकी ही पार्टी ने पहुंचाया होगा, हम ने नहीं पहुंचाया।

एक बात यहां पर लंदन में हाई कमीश्नर की मांग के संबंध में उठाई गई है। उसके संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक छोटी सी रकम है जो कांट्रीब्यूशन के तौर पर राज्य सरकार को देनी पड़ती है। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि यह रुपया कोई डोनेशन के रूप में दिया जा रहा है सो इस तरह की कोई बात नहीं है। यह कोई बड़ी रकम नहीं है जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है। मैं इस संबंध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से मैसूर सरकार का वहां पर प्रतिनिधि है उसी तरह से बिहार सरकार का भी कोई प्रतिनिधि होगा। इस तरह के किसी राज्य कर्मचारी के बारे में मुझे पता नहीं है कि वह लंदन के हाई कमीश्नर के दफ्तर में रहता है और उसको हम तनख्वाह दे रहे हों। यह रकम तो बहुत थोड़ी रकम है। यह कहना कि बिहार सरकार का कोई कर्मचारी लंदन में हमारे हाई कमीश्नर के दफ्तर में रहता है ठीक नहीं है।

एक बात श्री मिश्रा जी ने और उसके साथ ही साथ श्री रेड्डी जी ने उठाई कि भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है। माननीय सदस्य और इस माननीय सदन को मालूम होगा कि जब वहां पर संविद सरकार आई थी तो उसने भूतपूर्व सरकार के खिलाफ जांच करने का फैसला किया था और उसके लिए बिहार में एक कमीशन नियुक्त किया गया था जिसको अय्यर कमीशन कहा जाता है। उसने अपनी जांच प्रारम्भ कर दी है। वह उस समय के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के खिलाफ और उसके साथी मंत्रियों के खिलाफ जांच कर रहा है। जब संविद सरकार के बाद शोषित दल की सरकार आई तो उसने संविद सरकार के मुख्य मंत्री और अन्य सहयोगी मंत्रियों के खिलाफ कुछ चार्ज फ्रेम किये और फ्रेम करके अय्यर कमीशन को भेजा। क्योंकि यह राजनीतिक मामला है, इसलिए मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस संबंध में राज्य सरकार शीघ्र निबटारा करेगी और शीघ्र फैसला करेगी (*Interruptions.*) क्योंकि यह राजनीतिक मामला है, इसलिए मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You must wind up. The time allotted for this is one hour. We must be within our limits.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीया, मैं क्या करूं। माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाये हैं और मुझे उनका जवाब देना है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am only concerned with the time allotted to this Bill.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं अब दूसरी बातों पर जाना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बिहार के अन्दर साम्प्रदायिकता के बारे में चर्चा की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में जातिवाद का बहुत जोर है और इस से हम सब लोग दुखी हैं तथा सारा समाज दुखी है। बिहार में जो यह बुराई है उससे माननीय सदस्य अपने को बरी रखना चाहते हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूं। इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी बराबर है। जहां तक हमको जानकारी मिली है और जो प्रेस कटिंग्स हमारे सामने आये हैं उनसे यह पता चलता है कि वहां पर साम्प्रदायिकता को फैलाने में जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है उतनी ही विरोधी दल भी जिम्मेदार है और दोषी है। इस चीज को सब को मिलकर ठीक करना होगा।

इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वहां पर कड़ाई के साथ कर्ज वसूली की जा रही है। एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार का कर्जा बिहार के ऊपर लद रहा है और दूसरी तरफ जब कर्ज की वसूली की जाती है तो उसका विरोध करते हैं। यह भी कहा गया है कि जब बिहार में संविद की सरकार थी तो उसने किसानों को बहुत राहत दी थी। मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य यादव जी ने इस को बहुत जोरों के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि 20 साल के कांग्रेस के राज्य में किसानों को केवल 80 लाख रुपया बांटा गया जबकि संविद की सरकार ने थोड़े ही समय में दो करोड़ रुपया बांट दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी सरकार ने इस तरह से किसानों को कर्जा नहीं बांटा। जो भी पैसा या कर्जा दिया गया वह लैंड मार्टगेज बैंक द्वारा या कोआपरेटिव बैंकों के द्वारा बांटा गया। लेकिन जब सबसिडी का जिक्र उन्होंने किया, तो उसके संबंध में भी मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने ट्यूब वैल्स, छोटे पम्पिंग सैट लगाने के लिए और छोटी सिंचाई योजना के लिए 50 प्रतिशत तक की सबसिडी दी थी। लेकिन जब वहां पर संविद की सरकार आई तो उसने 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया। उसके बाद जो दूसरी संविद की सरकार आई तो उसने इस 25 प्रतिशत सबसिडी को भी हटा दिया।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Are we having a comparative study, Madam?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के शासनकाल में वहां पर जनता की भलाई के कार्य किये जायेंगे।

मैं इतना ही कहकर फिर यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव होंगे और जो नई सरकार वहां पर बनेगी वह इन सब समस्याओं की ओर ध्यान देगी।

श्री रेवती कांत सिंह : गलतबयानी हुई है सरकार की ओर से।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1968-69, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted,

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI JAGANNATH PAHADIA : Madam, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

(Skri Rewati Kant Sinha and Shri J.P. Yadav rose)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Both of you have spoken.

I. THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1958

II. THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1968

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, we take up the Appropriation (No. 3) Bill and the Appropriation (No. 4) Bill together. I would like the Ministers also to bear in mind the total time allotted to each item on the agenda. What is good for the Members is also good for the Ministers.

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मैं उपमंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो एप्रोप्रियेशन बिल्स हैं इस समय संसद का कोई चुनाव होने वाला नहीं है इसलिये वे इनके बारे में कोई चुनाव भाषण न दें। जरा कुछ तथ्य की बातें बता दें तो अच्छा हो।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री(श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैंने कोई चुनाव का भाषण नहीं दिया। तथ्य ही सामने रखे हैं। चुनाव का भाषण बिहार में जा कर दूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Who is moving the Appropriation (No. 3) Bill, 1968 and the Appropriation (No. 4) Bill, 1968?

SHRI JAGANNATH PAHADIA : Madam Deputy Chairman, on behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I also move :

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1966, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The questions were proposed.

SHRI M. K. MOHTA (Rajasthan) : Madam Deputy Chairman, it comes not only as a surprise to this House but also it is rather regrettable that within three months of the General Budget the Government has come forward for a payment o f Rs. 2£ crores, which means that the Finance Ministry does not have any effective control over the expenditure of the Government and its position as the watch-dog of Government expenditure has not come to serve any fruitful purpose.Govern-ment expenses have reached such a stage that staggers one's imagination. The administrative service expenditure of the Government alone has increased from Rs. 71 crores in 1961-62 to Rs. 151 crores in 1968-69. The total expenditure of the Government has increased from 2,500 crores in 1966-67 to Rs. 2,896 crores as provided in the Budget for 1968-69. Which means, apart from the sum for 1968-69 already budgeted, there is an additional amount of expenditure of Rs. 396 crores for 1966-67. 1 would appeal to the hon. Minister to listen to me. The point 1 am trying to make is that until and unless the Government gives a better account of itself, a better account of its efforts, to husband the resources raised by it from the taxpayers, it will be improper on the part of the Government to come before Parliament again and again for approving more and more expenditure. There are certain basic policies involved which are actually making the Government to incur more expenditure and a rethinking of those policies is necessary to pull the Government out of this predicament.

One thing that I would like to refer to is the policy regarding labour. It is well known that in the Government offices four or five people are employed to do the work of one man. 1 am all for higher wages, more amenities, more fringe benefits, more retirement benefits and all the rest of it. But I am dead against inefficiency and indiscipline which the policies of the

I Government have given rise to. Unless and until the Government takes a courageous stand to have more efficiency, less waste and more discipline in its own de-

I partments, these expenditures of the